

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 06 / 2019

GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2019 / 00031

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

1. श्री नरेश तलदार पुत्र श्री मोहनलाल निवासी सुभाषनगर बांसवाड़ा

1. प्राधिकृत अधिकारी, आयुक्त, नगर परिषद बांसवाड़ा
2. तहसीलदार बांसवाड़ा
3. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा
4. श्री संजय कुमार पिता रजनीकांत जैन सन्मति नगर दाहोद रोड बांसवाड़ा
5. श्री उत्तम कुमार पिता बाबूलाल जैन
6. श्री विजयकुमार पिता बाबूलाल जैन रातीतलाई बांसवाड़ा

बनाम

उपस्थित

श्री नरेश तलदार

श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता
तहसीलदार बांसवाड़ा
श्री यशपाल गुप्ता, अधिवक्ता
श्री अनुराग जैन, अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 90 क (9) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांक :- 31.03.2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 ने अपनी स्वामित्व की ग्राम बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा आराजी सर्वे नं. 3699/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 3700/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा कुल रकबा 4 बीघा किस्म जंगल की भूमि होते हुए भी कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बांसवाड़ा के आदेश क्रमांक 14706-708 दिनांक 15.02.2013 के द्वारा किस्म जंगल भूमि कुल रकबा 4 बीघा अर्थात 7744




जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

वर्ग गज को अवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाया। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की।

दिनांक 26.05.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरीये समन तलब किया गया दिनांक 17.07.2015 को रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। जिसमें उल्लेख किया कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (3) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय दिनांक 12.12.1996 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में जो भूमि किस्म जंगल अंकित है वह वन भूमि की श्रेणी में आती है तथा उनके गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृती प्राप्त किये बिना किस्म जंगल भूमि को आबादी में परिवर्तित कर तहसीलदार बांसवाडा एवं आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। दिनांक 31.07.2015 को रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 11.09.2015 को अपीलांट की ओर से प्रारंभिक आपत्तियों के प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रस्तुत किया एवं दिनांक 09.10.2015 को अपीलांट ने प्रारंभिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 20.10.2015 को अपीलांट स्वयं एवं वकील रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र 31.07.2015 पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात रूपान्तरण नियम 2012 के नियमों के तहत जारी रूपान्तरण आदेश के विरुद्ध धारा 90 ए (9) में अपील के प्रावधान होने एवं इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त होने एवं अपील म्याद में है या नहीं एवं क्षम्य किया जाना चाहिए, या नहीं और अपीलांट व्यथित पक्षकार कैसे है का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पक्षकारों को सुन कर किया जाना सुनिश्चित कर रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। दिनांक 11.12.2015 को रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विवादित सर्वे नम्बर 3699/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 3700/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा कुल रकबा 4 बीघा प्रारंभ से ही कृषि भूमि डूंगरी थी लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में जंगल लिखा गया था। शुद्धि पत्र संख्या 25 दिनांक




जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

14.08.2015 से उक्त सर्वे नम्बर की भूमि किस्म जंगल के स्थान पर किस्म डूंगरी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित राजस्व रिकार्ड की नकले संलग्न है।


दिनांक 08.01.2016 को वकील रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी दायर करने व आदेश दिनांक 25.10.2015 का स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से स्थगन आदेश की प्रति एवं पत्रावली तलब करने का पत्र प्राप्त होने पर मूल पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की गई।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से प्रारंभिक आपत्तियों की निरस्ती के विरुद्ध प्रस्तुत की गई निगरानी याचिका नोट प्रेस होकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज की गई। दिनांक 09.10.2019 को पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 को समन जारी किये गये। दिनांक 08.11.2019 को रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से प्रार्थना पत्र कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रस्तुत हुआ। जिस पर अपीलांत ने दिनांक 30.12.2019 को कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं करने हेतु न्यायालय को अवगत कराया।

दिनांक 24.07.2020 को अपीलांत की ओर से श्री शांतिलाल पामेचा एवं श्री राजीव पामेचा का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 17.08.2020 को कार्यालय प्राधिकृत नगर परिषद बांसवाड़ा से उनकी मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 217/2013 मंगवाने पर दिनांक 21.09.2020 को वांचित पत्रावली की फोटो प्रति प्रस्तुत हुई। दिनांक 02.11.2020 को रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की एवं निवेदन किया कि विवादित सर्वे नम्बर 3699/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 3700/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा कुल रकबा 4 बीघा प्रारंभ से ही कृषि भूमि डूंगरी थी लेकिन सहवन से राजस्व रिकार्ड में जंगल लिखा गया था। शुद्धि पत्र संख्या 25 दिनांक 14.08.2015 से उक्त सर्वे नम्बर की भूमि किस्म जंगल के स्थान पर किस्म डूंगरी दर्ज की गई है। अपील अपीलांत खारिज करने निवेदन किया।

दिनांक 01.02.2021 को अपीलांत की ओर से श्री राहुल चंचावत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा अपीलांत की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया कि दिनांक 09.10.2015 को प्रस्तुत लिखित बहस को आधार माना जाकर अपील स्वीकार कर प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद के प्रश्नगत आदेश को खारिज किया जावे।




जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

तहसीलदार बांसवाडा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उनका जवाब चाहने पर दिनांक 22.10.2021 को तहसीलदार बांसवाडा (रेस्पोंडेंट संख्या 2) से जवाब प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख किया गया कि कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बांसवाडा के पत्रांक 12810-811 दिनांक 14.01.2013 के द्वारा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क एवं तत्वावधान में बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु आवेदन के जांच के क्रम में प्राप्त हुआ जिसकी जांच इस कार्यालय के कार्मिको/अधिकारी द्वारा मुताबिक राजस्व रिकार्ड से की जाकर आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा को प्रेषित की गयी है। संवत् 2030 से 2033 प्रारंभिक जमाबंदी में मूल आराजी नम्बर 297 की किस्म डूंगरी दर्ज है जिसकी शुद्धि शुद्धि पत्र संख्या 25 दिनांक 14.08.2015 से की गई है। दिनांक 25.02.2022 को उपवन संरक्षण बांसवाडा से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रश्नगत आराजी वन विभाग की नोटिफाइड वन भूमि नहीं है।

दिनांक 17.02.2022 को रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से लिखित बहस बाबत कार्यवाही समाप्त करने हेतु प्रस्तुत की एवं कथन किया कि प्रश्नगत सर्वे नम्बर 3699/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 3700/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा कुल रकबा 4 बीघा भूमि की किस्म राजस्व अभिलेखों में मूल रूप से डूंगरी दर्ज होने तथा कालान्तर में सहवन से जंगल में दर्ज हो जाने के कारण राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि की किस्म शुद्धि करने हेतु उक्त प्रकरण में हमारे द्वारा तहसीलदार, बांसवाडा को आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2015 (प्रति संलग्न) प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में तहसीलदार बांसवाडा द्वारा प्रकरण का परीक्षण करवाने पर यह पाया गया कि उक्त भूमि की राजस्व अभिलेखों में किस्म वास्तव में मूल रूप से डूंगरी ही दर्ज थी किन्तु कालान्तर में लिपिकीय त्रुटिवश (Clerical Mistake) सहवन से जंगल अंकित हो जाना साबित होने पर तहसीलदार बांसवाडा के द्वारा संबंधित ग्राम की खसरा जमाबन्दी में उक्त भूमि की किस्म शुद्धि कर दिनांक 14.08.2015 को (शुद्धिकरण की प्रति संलग्न) पुनः डूंगरी दर्ज कर दी गयी है (तहसीलदार बांसवाडा का पत्रांक 1303 दिनांक 14.10.2021 एवं शुद्धिपत्र संख्या 25 दिनांक 14.08.2015 की प्रति संलग्न है) इस प्रकार प्रश्नगत सर्वे नम्बर 3699/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा, 3700/2835/297/1/2 जिसका क्षेत्रफल 2 बीघा कुल रकबा 4 बीघा भूमि की किस्म वर्तमान में डूंगरी दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 166 एवं नियम





जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

366 प्रति (संलग्न) के तहत लिपिकीय त्रुटि का शुद्धिकरण (Correction) करने हेतु तहसीलदार अधिकृत है। वन विभाग में नोटिफाईट जंगल दर्ज होने अथवा नहीं होने के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा वन विभाग को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में वन विभाग के पत्र क्रमांक 11297 दिनांक 30.11.2021 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त आराजी की भूमि वन विभाग की नोटिफाईट भूमि नहीं है। अपीलार्थी की अपील को निरस्त करने के आदेश प्रदान करना फरमावे।

दिनांक 25.03.2022 को उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांत की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं कथन किया कि प्रार्थी अपीलार्थी ने राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के प्रावधान, दस्तावेज और उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर बहस प्रस्तुत की है। प्रश्नगत आराजी सर्वे नम्बर ग्राम बांसवाडा की जंगल किस्म की भूमि होते हुए भी प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बांसवाडा द्वारा आवासीय रूपान्तरण करवाया जो कानून प्रावधानों के विपरित है। रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 ने किस्म जंगल भूमि का रूपान्तरण होने के पश्चात किस्म डूंगरी जमाबंदी में करवायी इसका किस्म जंगल भूमि आवासीय में परिवर्तन होने के बाद औचित्य समाप्त हो जाता है। रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 ने कानून के प्रावधानों विपरित किस्म जंगल की भूमि का आवासीय में परिवर्तित किया तथा तहसीलदार बांसवाडा एवं नगर परिषद बांसवाडा ने कानून के प्रावधानों के विपरित रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 तक की जंगल किस्म की भूमि जानते हुए मिलीभगत कर आवासीय में परिवर्तन किया है। अतः अपीलार्थी की लिखित बहस स्वीकार कर कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बांसवाडा के आदेश संख्या 14706-708 दिनांक 15.02.2013 को निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोंडेंट संख्या 1 आयुक्त नगर परिषद की ओर से अधिवक्ता ने अपने बहस में कथन किया कि रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 ने अपने खातेदारी भूमि को कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जाने हेतु आवेदन किया रेस्पोंडेंट द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर तहसीलदार बांसवाडा को राजस्व रिकार्ड एवं मौके की जांच की टिप्पणी पेश करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर तहसीलदार बांसवाडा ने नियम 6(1) के अनुसार प्रारूप 6 में उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में आवासीय प्रयोजनार्थ की सिफारिश की तदनुसार नगर परिषद द्वारा उक्त भूमि के अभिधृति अधिकारों




जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

को निर्वापित करने के आदेश दिये गये है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 20.04.2017 के अनुसार समस्त नगर सुधार न्यासों/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90 क के अंतर्गत किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर सभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है। अतः यह अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अपील अपीलांत निरस्त फरमायें। अधिवक्ता की ओर से नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 3 (50) नवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20.04.2017 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।


रेस्पोंडेंट संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी वन विभाग की नोटिफाइड वन भूमि नहीं है किन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा (3) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय दिनांक 12.12.1996 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में जो भूमि किस्म जंगल अंकित है वह वन भूमि की श्रेणी में आती है तथा उनके गैर वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होते है। प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृती प्राप्त किये बिना किस्म जंगल भूमि को आबादी में परिवर्तित कर तहसीलदार बांसवाडा एवं आयुक्त नगर परिषद बांसवाडा द्वारा अधिनियम उल्लंघन किया गया है।

रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 17.02.2022 को प्रस्तुत लिखित बहस बाबत कार्यवाही समाप्त करने में प्रस्तुत बिन्दुओं को ही आधार मानकर अपील अपीलांत निरस्त करने निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। दिनांक 31.07.2015 को रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की ओर से प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.10.2015 को उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात रूपान्तरण नियम 2012 के नियमों के तहत जारी रूपान्तरण आदेश के विरुद्ध धारा 90 ए (9) में अपील के प्रावधान होने से रेस्पोंडेंट संख्या 4 से 6 की प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था। वर्तमान

में नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प 3 (50)




जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 20.04.2017 अनुसार समस्त नगर सुधार न्यासों/प्राधिकरणों एवं स्थानीय निकायों में धारा 90-क के अंतर्गत किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति द्वारा उप धारा (9) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु जिला कलक्टर के स्थान पर सभागीय आयुक्त को अधिकृत किया गया है, जिसकी प्रति रेस्पोंडेंट सं. 1 प्राधिकृत अधिकारी नगर परिषद बॉसवाडा के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है। उक्त परिपत्र वर्तमान में प्रभावी है।

अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 90-क (9) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलांत को सूचित किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बासवाडा (राज.)
बासवाडा